

सेवा में

ओरियेंट क्राफ्ट फैशन पार्क,
इन्डस्ट्रियल प्लॉट नं0-1,
मिल्क सप्लाई कम डेयरी फार्मिंग सेंटर के सामने,
होटवार इन्डस्ट्रियल एरिया, राँची।

विषय:- मौजा-होटवार, प्लाट नं0-इन्डस्ट्रियल प्लॉट नं0-01 खाता संख्या-74, वार्ड नं0-00
थाना-180, होटवार इन्डस्ट्रियल एरिया, राँची में प्रस्तावित औद्योगिक भवन निर्माण हेतु
अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित औद्योगिक भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची से कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक-225 दिनांक-14.06.18 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित औद्योगिक भवन को निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम एक लाख पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. दोनों स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन में अग्नियामन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायामेटर वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 45 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं दो-दो अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
7. प्रस्तावित भवन के सभी तलों को स्वचालित स्पिंकलर से सुरक्षित किया जाय।
8. प्रस्तावित भवन में एड्रसेबल स्मोक डिटेक्टर विथ अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
9. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2,850 Lpm क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पम्प तथा समान क्षमता एक डीजल पम्प स्टैण्ड बाय में रखा जाय।
10. स्पिंकलर के लिये स्वतंत्र रूप से पंपिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
11. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. 900 Lpm क्षमता वाले ओभरहेड पम्प का संस्थापन कराया जाय।
13. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
14. प्रस्तावित भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।

15. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
16. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
17. सभी ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में सतही तल पर 50-50 ली0 क्षमता वाले दो-दो अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
19. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
20. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
22. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेवल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक न हो।
24. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में 12 मीटर चौड़ा ठोस समतल एवं खुला स्थान रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में Hydraulic Platform से अग्निशमन अथवा बचाव कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
25. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
27. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।